भारत सरकार | **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | **अतारांकित प्रश्न सं० 757**
(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांकः 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

आरओडीटीईपी

757. डॉ. पोन गौतम सिगामणिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार रत्न और आभूषण, भेषज, चमड़ा, वस्त्र और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों से कूरियर और ई—कॉमर्स चैनल के माध्यम से विदेश भेजे गए सामानों के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी) योजना का विस्तार करेगीः

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे एमएसजेडएमई विशेष रुप से कूरियर और ई—कॉमर्स के माध्यम से निर्यातों के लिए आरओडीटीईपी लाभ प्राप्त कर सकेंगे और एक से दो बिलियन डॉलर प्रति वर्ष के निर्यात में सहायता कर सकेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में अपने विविध प्रकार के उत्पादों के साथ ऐसा करने की अपार संभावनाएं हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार कूरियर के माल के लिए सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाने के लिए विशेष ई—कॉमर्स निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): ई—कॉमर्स और कूरियर मोड के माध्यम से भारतीय उत्पादों, विशेष रुप से एमएसएमई की निर्यात क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा विभिन्न संवर्धनात्मक और सुविधाजनक उपाय किए जा रहे हैं। उसी को जारी रखते हुए, सीमाशुल्क विभाग द्वारा शुरु से अंत तक की परिस्थिति में कार्यान्वयन के लिए कूरियर के साथ—साथ डाक माध्यम से किए गए निर्यात के लिए आरओडीटीईपी स्कीम के लाभ की अनुमति देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई है।

(घ) से (ड.): विदेश व्यापार नीति 2023 में डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत से वस्तुओं और सेवाओं के सीमा पार व्यापार और ई—कामर्स और भारत से निर्यात के अन्य उभरते माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य ढाँचा दिया गया है। ई—कॉमर्स निर्यात हब संबंधी विवरण, जो सीमा पार ई—कॉमर्स गतिविधियों के लिए अनुकूल व्यावसायिक अवसंरचना और सुविधाओं के लिए एक केन्द्र के रुप में कार्य करेगा जो इस नीति के अध्याय 9 में उल्लिखित है।

*****